

## अनुमति की शर्तें ।

- (i) लवत भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिकृत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

अवेदन क्रमांक 784 दिनांक 23/11/2020

श्री राम नारायण खड़ाग डा० श्री शंकर राम

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 23666/- जमा

जरिये रसीद संख्या 2069/3413, 3414

दिनांक 23/11/2020 को जमा करा दी है ।

p.No = 54 मुख्यालय मेरठ नगर  
विस्तार

23/11/2020

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

प्राप्त किया map.

Rishabh  
1/12/2020

76270-21860